उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवम् भूगर्भ जल अनुभाग--1
संख्या: 724/62-1-2017-04आर/2009
लखनऊ: दिनांक: 19 जून,2017

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में वार्षिक आपूरणीय भू-जल संसाधन (Annual Replenishable Ground Water Resource) का विगत आकलन 31-03-2013 के आधार पर भूगर्भ संसाधन आकलन समिति-97 (GEC-97) द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार किया गया है। इस मध्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ जल के परिदृश्य में सतत परिवर्तन देखा जा रहा है। इसके दृष्टिगत दिनांक 31मार्च, 2017 तक के ऑकड़ों के आधार पर भूजल संसाधनों के पुनराकलन की आवश्यकता पायी गयी है।

2- उक्त के कम में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प पत्र दिनांक 18-05-2017 में वर्तमान में 31-03-2017 के आधार पर सम्पूर्ण देश में भू-जल संसाधनों के पुनराकलन हेतु एक विशेषज्ञ समूह(एक्सपर्ट ग्रुप) गठन किया गया है। प्रदेश स्तर पर इस भू-जल आकलन रिपोर्ट के अनुश्रवण एवं अनुमोदन हेतु पूर्व में राज्य स्तरीय समिति के गठन की व्यवस्था रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व शासनादेश संख्या-295/62-1-2012 -4आर/2009, दिनांक 8जून, 2012 द्वारा "राज्य स्तरीय भू-जल आकलन समिति" गठित की गयी थी।

3- अतः वर्तमान में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय, भारत सरकार के नवीन दिशा-निर्देशों के कम में दिनांक 31-03-2017 तक के आकड़ों के आधार पर प्रदेश में भू-जल संसाधन आकलन रिपोर्ट भू-गर्भ जल विभाग द्वारा समयबद्ध ढंग से तैयार किये जाने, सम्बन्धित कार्य/गतिविधि का नियमित अनुश्रवण करने तथा उसके अनुमोदन हेतु "राज्य स्तरीय भू-जल आकलन समिति" का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

1.	प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2.	आयुक्त/अपर आयुक्त मनरेगा, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
3.	अधिशासी निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ	सदस्य
4.	प्रमुख वन संरक्षक, वन विभाग, उ0प्र0	सदस्य
5.	निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, लखनऊ।	सदस्य
6.	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
7.	प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग(यांत्रिक), उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
8.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।	सदस्य
9.	निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य

10. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
11. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ।	सदस्य
12. मुख्य अभियन्ता, राज्य जल संसाधन अभिकरण, उ0प्र0।	सदस्य
13. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0।	सदस्य
14. निदेशक, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0	सदस्य
15. उप महानिदेशक (उ0क्षे0) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उ0प्र0	सदस्य
16. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
17. निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0।	सदस्य
18. निदेशक, भारतीय मौसम विभाग, लखनऊ	सदस्य
19. सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।	सदस्य
20. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0।	सदस्य
21. निदेशक आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
22. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश।	सदस्य

उक्त समिति के सदस्य सचिव क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ होगें।

उक्त समिति के मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे:-

(1) (GEC-97) के अनुसार भू-जल संसाधनों के आकलन विषयक प्रणाली विज्ञान (Ground Water Estimation Methodology) के अनुसार प्रदेश में वार्षिक आपूरणीय भू-जल संसाधन का आकलन सुनिश्चित कराया जाना।

(2) भू-जल आकलन के प्रणाली विज्ञान(Methodology) में चिह्नित आवश्यक आंकड़ों/सूचनाओं को समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सम्बन्धित विभागों के स्तर पर सुनिश्चित कराया जाना एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत कराया जाना।

(3) वार्षिक आपूरणीय भू-जल संसाधन के विभिन्न प्रक्षेत्रों में उपयोग की स्थिति का आकलन कराया जाना।

(4) जल संसाधनों के सहयुक्त/एकीकृत उपयोग के नियोजन एवं प्रबन्धन की आवश्यकता के दृष्टिगत भू-गर्भ जल व सतही जल के आंकडों के एकीकरण की दिशा में प्रभावी प्रयास सुनिश्चित कराया जाना।

(5) भविष्य की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में गहरे जल संचयन प्रक्षेत्रों (एक्यूफर्स) में भू-जल उपलब्धता की गणना हेतु विभिन्न विभागों की भागीदारी के साथ प्रदेश स्तर पर एक तकनीकी कार्य व्यवस्था का निर्धारण सुनिश्चित कराया जाना।

(6) उक्त आकलन हेतु निदेशालय स्तर पर एक "भू-जल प्रकोष्ठ" का गठन किया जायेगा जो कि इसके लिए उत्तरदायी होगा एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा। इस भूजल प्रकोष्ठ में दो अधिकारी भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 एवं दो अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, उ0क्षे0, लखनऊ के द्वारा नामित समर्पित अधिकारी हों, जो इस आकलन का नियमित अनुश्रवण एवं मार्ग-निर्देशन प्रदान करेंगे।

समिति द्वारा उक्त आकलन हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर परिचालित प्रकिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

समिति द्वारा उक्तानुसार दिनांक 31–03–2017 की स्थिति पर आधारित भू–जल संसाधनों के आकलन से सम्बन्धित रिपोर्ट समय–सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

संख्याः 724 (1–7)/62–1–2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समिति के समस्त सदस्यगण।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन/कृषि/नगर विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/पर्यावरण/आवास एवं शहरी नियोजन/उद्योग/उद्यान/ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. संयुक्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, भूजल भवन, एन0आई0एच0–4, फरीदाबाद।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
12/6
(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव